

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1806

दिनांक: 18.02.2026

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (नगरपालिका) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन)
मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषय:-नगरपालिका निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर प्रदर्शन हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य में नगरपालिका चुनावों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से किये जायेंगे। वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का प्ररूप (डिजाइन) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34क के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/521 दिनांक 15.01.2026 से विहित किया है। इसके अतिरिक्त नियम 44-क के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्र का प्ररूप (डिजाइन) आदेश क्रमांक प. 4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/3059 दिनांक 28.10.99 (सांविधिक आदेश संख्या 26/99) के अनुसार निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार निविदत्त मतपत्र भी उसी डिजाइन में होगा जिसमें मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का डिजाइन है सिवाय इसके कि, इसकी पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" स्टांपित किया जावेगा।

अतः आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/ 4232 दिनांक 21.10.2019 एवं एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/4868 दिनांक 09.11.2019 में अंकित निर्देशों को अधिकमित करते हुये निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी करता है।

वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों का मुद्रण करवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जाए:-

1. आयोग के पत्रांक 521 दिनांक 15.01.2026 के मद सं. 7 में वर्णित आड़े कॉलम (Vertical Column) में निर्वाचन की विशिष्टियां आदि सांकेतिक शब्दों में मुद्रित होंगी। उदाहरणार्थ - वार्ड सं. 21 जयपुर नगरपालिका के निर्वाचन हेतु "वार्ड-21/जयपुर/सा.नि./2026" अंकित होगा।
2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A, MK-V ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 16 तक होने पर और 16 से अधिक होने पर सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 1ए पर संलग्न है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 15 तक होने पर और 15 से अधिक होने पर सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः परिशिष्ट-2 एवं 2ए पर संलग्न हैं।
3. जहाँ मतपत्र की एक से अधिक शीट प्रयुक्त की जायेंगी, वहाँ आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नंबर-1, शीट नंबर-2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

4. मतपत्रों के मुद्रण के समय अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें आवंटित प्रतीक चिन्ह के मध्य का अन्तर तथा मतपत्र के ऊपर एवं नीचे स्थान छोड़े जाने इत्यादि के संबंध में आयोग के आदेश क्रमांक 521 दिनांक 15.01.2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट/ मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/ MK-V ईवीएम में प्रदर्शित किये जाने हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।
5. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि, मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य की जो विभाजित रेखा है, उसका अलाइनमेंट मतदान यूनिट की लाइन के एकदम ऊपर है, यानि मतदान यूनिट की लाइन की सीध में ही मतपत्र में दो अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य दर्शायी गयी विभाजन रेखा होनी चाहिए। सही एलाइनमेंट के लिये एक मतदान यूनिट मुद्रणालय में भी रखी जावेगी और मतपत्रों का प्ररूप अनुमोदन (Proof Reading) करने से पहले मतदान यूनिट से मतपत्रों में दर्शाये गये उक्त विभाजन रेखाओं का एलाइनमेंट चेक किया जावेगा।
6. मतपत्रों पर हैण्ड नम्बरिंग मशीन से पांच अंकों में या हाईटाईप नम्बरिंग मशीन से छः अंकों में जैसा भी सुविधा जनक हो नम्बर लगाये जावेंगे तथा क्रम संख्या 000001 या 0000001 जैसी भी स्थिति हो, से प्रारम्भ की जावेगी लेकिन एक मुद्रणालय में मुद्रित होने वाले सभी मतपत्रों पर नम्बरिंग एक ही प्रकार से लगायी जावेगी। नम्बरिंग में पूरी सावधानी बरती जावेगी।
7. इन मतपत्रों के बंडलो को स्टिच करने की आवश्यकता नहीं है। मतपत्रों के 20-20 के बण्डल बनाये जावेंगे, ताकि निविदत्त मतों के लिये मतदान केन्द्र पर 20-20 का बण्डल पूरा ही आवंटित किया जा सके। इन बण्डलों पर मुद्रित पट्टी लगाई जावेगी जिस पर "1. नगरपालिका का नाम, 2. वार्ड संख्या 3. मतपत्रों की क्रम संख्या से तक विशिष्टियां अंकित की जावेंगी। 20-20 मतपत्रों के बण्डलों का बाईवार एक पैकेट बनाया जावेगा। पैकेट के ऊपर भी उपर्युक्त विवरण दर्शाने वाली मुद्रित पट्टी चिपकायी जावेगी।
8. मतपत्रों की साईज वोटिंग मशीनों के अनुरूप सही-सही काटने के लिए वोटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में रहनी चाहिए। काटिंग के समय आकार का विशेष ध्यान रखा जावे।
9. मुद्रित किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या की कुल आवश्यकता और इस प्रकार मुद्रण निम्नलिखित आधार पर होगा:-
 - (i) प्रत्येक मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए एक मतपत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मतपत्रों की संख्या प्रयुक्त की जाने वाली मतदान मशीनों जिनमें रिजर्व मशीनें सम्मिलित हैं, की संख्या के बराबर होगी।
 - (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र को निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए वार्ड सदस्य के चुनाव हेतु 20 मतपत्र प्रदत्त किये जावें। निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाले मतपत्रों की कुल आवश्यकता तदनुसार निश्चित की जावेगी। यह संबंधित वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।
 - (iii) उपर्युक्त पैरा (i) और (ii) के अनुसार निश्चित की गयी मतपत्रों की कुल आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्युक्त संख्या के लगभग 10 प्रतिशत मतपत्र आकस्मिकताओं जैसे-मतदान यूनिट में मतपत्रों को लगाते समय फट जाना, त्रुटिपूर्ण मतपत्र आदि के लिये अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जावें। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 25 मतपत्रों की आवश्यकता होगी।
10. मतपत्र जब मुद्रणालय में मुद्रणाधीन हों तब आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि, निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम व उनका क्रम और उनमें से प्रत्येक को आवंटित प्रतीक तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अन्त में नोटा का विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक सही रूप में मुद्रित किये गये हैं। मतपत्रों की जांच करते समय इसका विशेष ध्यान रखा जावे। मतपत्रों

में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में अंकित किये जायेंगे, जैसा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-6) में दर्शाये गये हैं, अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा का विकल्प उपलब्ध होगा।

11. मुद्रणालय से मुद्रित मतपत्रों के प्राप्त होने पर मतपत्रों की जांच की जानी चाहिए। मुद्रणालय द्वारा प्रदाय किये गये मतपत्रों की संख्या और आपके पास वास्तविक गणना करने पर पायी गयी संख्या में कोई मतपत्र किसी भी रीति से त्रुटिपूर्ण या गलत नंबरिंग का पाया जाता है या किसी मतपत्र की क्रम संख्या गायब है तो, इस आशय के लिए संधारित रजिस्टर में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए और आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।
12. मुद्रित मतपत्रों को मुद्रणालय से ले जाने के दौरान मुद्रणालयों से कोषागार तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जावे। मतदान के प्रयोजन में काम आने तक इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखा जावे साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की इन तक पहुँच न हो।
13. मुद्रणालय में अन्य मुद्रण कार्यों के साथ मतपत्रों का मुद्रण का कार्य नहीं किया जावे। मुद्रणालय में भी उचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे।
14. मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों में कराया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 से निर्देश जारी किए हुए हैं। मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के दिन से ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। मतपत्रों के मुद्रण का कार्य चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि से 3 दिवस के भीतर ही पूर्ण करा लिया जावे, ताकि मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनों तैयार की जा सकें। इस प्रकार मतपत्रों के मुद्रण के लिए वस्तुतः 3 या 4 दिन का अधिकतम समय उपलब्ध रहेगा। इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था, अग्रिम तैयार के रूप में रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय में प्रतीकों के आवंटन की तारीख को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं उन्हें आवंटित किये गये प्रतीक तथा नोटा के विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक के साथ पहुँच जाने चाहिए। यह ध्यान रखें कि, सभी वाडों के जहाँ कि चुनाव हो रहा है, मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये हैं, उन पर क्रम संख्याक भी सही रूप से मुद्रित हो गई हैं, मशीनों में प्रदर्शित करने हेतु सनका आकार सही है आदि-आदि।
15. सदस्य पद के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 4178 दिनांक 17.10.2025 द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं किये जावें। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों के चयन की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पृथक से उपलब्ध करवा दी गई है।
16. मतपत्रों के लिए कागज की व्यवस्था के लिए तत्सम अवगत करा दिया जायेगा। सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का कागज का रंग सफेद होगा।
17. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) शब्दावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में होगी। मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एवं क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिस रीति व क्रम में वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात् प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त दोनों श्रेणी के हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होंगे लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होंगे। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा। आप द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि इस

सूची को अपने साथ रखेंगे। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। नगरपालिका का नाम एवं वार्ड संख्या का विवरण स्पष्ट एवं सही अंकित होना चाहिए।

18. मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्धि नहीं रहे इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। मतपत्रों के मुद्रण से पूर्व उनके प्रूफ को चेक करना है। इस हेतु आप अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकारी स्टॉफ लगावें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हों तथा यह ध्यान रखा जाए कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। उक्तानुसार प्रूफ की जाँच की जाकर इस हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रूफ के सही होने की पुष्टि के लिए प्रूफ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित प्रूफ की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के ऑफिस में सुरक्षित रखी जायेगी। तदनुसार ही मतपत्रों का मुद्रण कराया जाए।
19. मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की वार्ड सदस्यों के चुनावों हेतु वार्डवार संख्या से आप के लिए आयोग द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
20. नगरपालिका में कार्यरत स्टॉफ को मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में नहीं लगाया जाए।
21. मतपत्रों को मतदान मशीनों की मतदान यूनिटों पर लगाए जाने और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग हेतु मतदान केन्द्रों को प्रदाय किए जाने के पश्चात् सुरक्षित रखे हुये कुछ मतपत्र आपके पास अवितरित रह सकते हैं। ऐसे अवितरित शेष रह मतपत्रों को निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी ऐसे बक्से/सन्दूक में रखते हुए सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे जिनका निस्तारण 6 माह पश्चात् किया जायेगा। शेष मतपत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 1600 दिनांक 11.02.2026 (सा.आ. 15/2026) में विनिर्दिष्ट की गई है।

उपरोक्तानुसार मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में यथा समय वांछित व्यवस्था सम्पन्न कर ली जावे ताकि चुनाव कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

दिनांक: 18.02.2026

क्रमांक: एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1897-1899

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

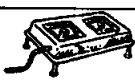
1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अम्बालाल मीणा)

उप सचिव

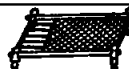
परिशिष्ट-1

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/ MK-V ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की क्रम संख्या वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026 वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026	1. विपिन कुमार	
	2. विपिन कुमार	
	3. विपिन कुमार	
	4. विपिन कुमार	
	5. विपिन कुमार	
	6. विपिन कुमार	
	7. विपिन कुमार	
	8. विपिन कुमार	
	9. विपिन कुमार	
	10. विपिन कुमार	
	11. विपिन कुमार	
	12. विपिन कुमार	
	13. विपिन कुमार	
	14. विपिन कुमार	
	15. विपिन कुमार	
	16. नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

परिशिष्ट-1ए

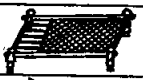
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A/ MK-V ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1	वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026	मतपत्र की क्रम संख्या	1. विपिन कुमार	
			2. विपिन कुमार	
			3. विपिन कुमार	
			4. विपिन कुमार	
			5. विपिन कुमार	
			6. विपिन कुमार	
			7. विपिन कुमार	
			8. विपिन कुमार	
			9. विपिन कुमार	
			10. विपिन कुमार	
			11. विपिन कुमार	
			12. विपिन कुमार	
			13. विपिन कुमार	
			14. विपिन कुमार	
			15. विपिन कुमार	
			16. विपिन कुमार	

शीट नं. 2	वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026	वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026	मतपत्र की क्रम संख्या
	17. विपिन कुमार		
	18. विपिन कुमार		
	19. विपिन कुमार		
	20. विपिन कुमार		
	21. विपिन कुमार		
	22. विपिन कुमार		
	23. नोटा (इनमें से कोई नहीं)		

परिशिष्ट-2

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की क्रम संख्या वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026 वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026	1. विपिन कुमार	
	2. विपिन कुमार	
	3. विपिन कुमार	
	4. विपिन कुमार	
	5. विपिन कुमार	
	6. विपिन कुमार	
	7. विपिन कुमार	
	8. विपिन कुमार	
	9. विपिन कुमार	
	10. विपिन कुमार	
	11. विपिन कुमार	
	12. विपिन कुमार	
	13. विपिन कुमार	
	14. विपिन कुमार	
	15. नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

परिशिष्ट-2ए

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1	वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026	मतपत्र की क्रम संख्या	
			1. विपिन कुमार 
			2. विपिन कुमार 
			3. विपिन कुमार 
			4. विपिन कुमार 
			5. विपिन कुमार 
			6. विपिन कुमार 
			7. विपिन कुमार 
			8. विपिन कुमार 
			9. विपिन कुमार 
			10. विपिन कुमार 
			11. विपिन कुमार 
			12. विपिन कुमार 
			13. विपिन कुमार 
			14. विपिन कुमार 
			15. विपिन कुमार 

शीट नं. 2	वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026	वार्ड 21 / जयपुर / सा.नि. / 2026 मतपत्र की क्रम संख्या	16. विपिन कुमार	
			17. विपिन कुमार	
			18. विपिन कुमार	
			19. विपिन कुमार	
			20. विपिन कुमार	
			21. विपिन कुमार	
			22. विपिन कुमार	
			23. नोटा (इनमें से कोई नहीं)	